संक्षिप्त खबरें

मकर संक्रांति के दो दिन बाद शुरू हो जाएंगे वैवाहिक कार्यक्रम

जागरण उज्जैन। खरमास के चलते अभी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। इसके दो दिन बाद 16 जनवरी से खरमास समाप्त होने पर शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ अगले तीन महीने तक शहनाईयों की गूंज सुनाई देगी। इस दौरान विवाह के 12 मुहूर्त रहेंगे। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बा वाला ने बताया कि 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसी के साथ सूर्य का उत्तरायण आरंभ हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण से ही मांगलिक कार्य शुरु होते हैं। 15 जनवरी तक मलमास रहेगा और 16 जनवरी से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। इसमें विवाह संस्कार के अलावा अन्य शुभ कार्य हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक विवाह के कुल 12 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं। इनमें जनवरी महीने में 16, 16, 21, 22 तारीख को विवाह मुहूर्त हैं। फरवरी माह में 7, 13, 18, 20, 21 व 25 तारीख को विवाह हो सकेंगे। जबकि मार्च महीने में केवल 5 व 6 तारीख को विवाह के मुहूर्त रहेंगे।

कलेक्टर ने तीन दिन में मांगा बोरवेल का रिकार्ड, पटवारी उखड़े

जागरण अशोकनगर। शनिवार को पटवारी संघ की तहसील इकाई ने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया बोरवेल सर्वेक्षण करने में आने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए ग्राम स्तरीय दल बनाने की मांग की गई है और सुझाव दिया गया है कि संयुक्त दल में ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सरपंच, पीएचई विभाग के सदस्य और पटवारी को शामिल किया जाए।

पटवारी संघ के तहसील इकाई के अध्यक्ष हरिओम कलावत और सचिव देवेंद्र यादव ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि हमें ग्राम क्षेत्रों में बोरवेल की स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही यह कार्य जटिल और विस्तृत भी है। पटवारी का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है और पहले से ही विभिन्न प्रशासनिक और राजस्व कार्यों की जि मेदारियां होती हैं। केवल पटवारी द्वारा इस तरह के सर्वेक्षण को करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि इस कार्य को एक ग्राम स्तरीय दल बना कर कराया जाये।

सैप्टिक टैंक में मिली 4 लाशें, दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने गया मकान मालिक का बेटा भी मृत

सिंगरौली में फैली सनसनी, पुलिस ने गड्डा खुदवाया तो निकले शव, झारखंड की कार भी मिली

जागरण, सिंगरौली। सिंगरौली में एक मकान के पीछे बने सेप्टिक टैंक में चार लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू फैलने से लोगों को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने गड्डा खुदवाया तो एक के बाद एक चार शव मिलते गए। इनमें से एक उस मकान के मालिक का बेटा भी है, जिसके घर के पीछे वह सैप्टिक टैंक खुदा हुआ है। मकान मालिक का बेटा नए साल की सुबह अपने तीन दोस्तों के साथ घर से गया था।

यह मामला सिंगरौली के बरगवां थाना क्षेत्र का है। शनिवार को इस सैप्टिक टैंक से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम को भी मामला संदिग्ध लगा। टैंक के पास जेसीबी से समानांतर गड्ढा खोदा गया। जैसे ही मजदूर अंदर गए टैंक में शवों को देखकर सभी हैरान रह गए। पुलिस ने हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई है। एक साथ चार लोगों की हत्या होने से शहर भर में सनसनी फैल गई।

दो शवों की नहीं हुई शिनाख्त

पुलिस के मुताबिक हिंडालको प्लांट के गेट नंबर 3 के पास बढ़ोखर गांव में हरिप्रसाद प्रजापति का मकान है। इसी मकान के पीछे सैप्टिक टैंक से दुर्गंध आने की शिकायत मिली थी। मृतकों में एक मकान मालिक का बेटा सुरेश प्रजापति(30) और दूसरा करण है। बाकी दो की नहीं हो सकी है। सुरेश की मां ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। मकान मालिक हरिप्रसाद प्रजापति समीपस्थ जयंत इलाके में रहते हैं। वह कभी-कभी यहां घर देखने आते हैं। मृतक सुरेश की मां मिथिलेश ने बताया कि सुरेश 1 जनवरी को सुबह तीन दोस्तों के साथ घर से निकला था। वह दो-तीन घंटे में लौटने का बोल गया था। आशंका है कि बेटे की हत्या की गई है। मौके पर एक झारखंड की एक कार JH24K- 3393 भी मिली है। सिंगरौली के एसपी मनीष खत्री ने मामले का संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है। शवों का रविवार को बैढ़न में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने पर जांच आगे बढ़ेगी। पुलिस भी सुराग ढूंढने में लगी है।

चरित्र संदेह को लेकर चल रहा था विवाद

पत्नी ने खाना नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा

जागरण, छिंदवाड़ा। पांढुर्णा तहसील के हिवरा पृथ्वीराम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी राजू पाटिल (46) ने यह वारदात अपनी नाबालिग बेटी (17) के सामने तब की जब पत्नी पद्मा पाटिल (42) गहरी नींद में थी। घटना शुक्रवार देर रात की है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पिछले तीन-चार दिन से पति-पत्नी के बीच चरित्र संदेह को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद जब पत्नी पद्मा सो गई तो राजू ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने बताया कि पद्मा पिछले कुछ दिनों से राजू को खाना भी नहीं दे रही थी, जिससे उनके बीच विवाद और बढ़ गया था।

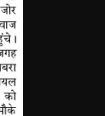

बेटी के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी : घटना के बाद डरी सहमी पद्मा की बेटी ने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। महिला की लाश और जगह-जगह फैले खून को देखकर वे घबरा गए। पड़ोसियों ने फौरन डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

बेटी ने पुलिस को बताया कि माता-पिता के बीच पहले विवाद हुआ था। इसके बाद पिता कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने मेरी मां पर हमला कर उसको हत्या कर दी। पति किसान और पत्नी मजदूरी करती थी।

जानकारी के अनुसार आरोपी राजू किसान है। उसके पास करीब 3 एकड़ जमीन है। उसकी पत्नी पद्मा मजदूरी करने जाती थी। दोनों को एक नाबालिग बेटी है। दोनों का एक बेटा भी था, जिसकी सात साल पहले मौत हो चुकी है।

कंप्यूटर सर्विस सेंटर में 2 लाख से अधिक की चोरी

जागरण, जबलपुर। शहर में कंप्यूटर सर्विस सेंटर में 2 लाख की सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आरोपी ताला तोड़कर कंप्यूटर सर्विस सेंटर में घुसते भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चोर ड्रॉज में रखी 2 लाख की रकम पार कर फरार हो गए। मामला जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में स्थित आशीष कंप्यूटर सर्विस सेंटर का है। जहां चोरी की सनसनीखेज घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। सेंटर में ताला तोड़कर घुसे चोर ने ड्रॉज में रखे लगभग 2 लाख 15 हजार रुपए पार कर दिए। यह वारदात 2 जनवरी की तड़के करीब 2 बजे की है और पूरी घटना सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद कंप्यूटर सेंटर के कर्मचारी ने लॉर्डगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है।

भाजपा पार्षद के घर पर हमला, यादव पर लगाए आरोप

जागरण, इंदौर। शहर में भाजपा के वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा के खातीवाला टैंक स्थित घर में घुसकर उनकी मां और बेटे को घायल कर दिया। कालरा ने इसे लेकर भाजपा के ही दूसरे पार्षद जीतू यादव पर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही कालरा समर्थकों ने बाजार बंद करा दिए। रहवासी रास्ता बंद करने के लिए सिंधी कॉलोनी चौराहे पर पहुंचे, लेकिन पुलिस जाम लगाने से पहले ही उन्हें हटा दिया। सभी ने इंदौर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलकर जीतू यादव की शिकायत भी की।हरअसल पार्षद जीतू यादव इंदौर-2 के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के करीबी हैं। वहीं कमलेश कालरा इंदौर-4 की भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के करीबी माने जाते हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमित सिंह ने बताया कि एमआईसी सदस्य जीतू यादव के लोगों ने पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर हमला किया। पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज चेक करने और विवादित ऑडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवाद की शुरुआत 10 दिन पहले हुई थी। इसका ऑडियो शुक्रवार को वायरल हुआ। इसमें वे निगमकर्मी यतींद्र यादव से अभद्रता से बात करते सुनाई दे रहे हैं। जब ये बात कालरा को पता चली तो उन्होंने यतींद्र और अफसर राहुल सूर्यवंशी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर भला-बुरा कहा।

बिलासपुर एक्सप्रेस को पैसेंजर बनाकर चलाया जाए

जागरण विदिशा । जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने बताया कि मेमो एक्सप्रेस बंद होने से छोटे-छोटे स्टेशनों पर जाने वाले यात्री, विद्यार्थी, व्यापारी परेशान हो रहे हैं उनकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री रेलवे प्रशासन डीआरएम को विशेष ट्रेन बिलासपुर जो सुबह भोपाल से बीना जाती है उसको हर स्टेशन पर रोका जाए, जिससे कि लोगों की समस्या हल हो।

गंदे काम में लिप्त बताकर महिला को किया डिजिटल अरेस्ट

जागरण, दमोह। देहात थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह फिर एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। इस बार उन्नीं न आम चोपरा क्षेत्र में रहने वाली एक पढ़ी-लिखी महिला को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन दमोह की साइबर सेल टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ठगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महिला ने जैसे ही खुद को कमरे में बंद किया और दरवाजा खोलने से मना किया। परिजनों को गड़बड़ी का आभास हो गया और उन्होंने साइबर सेल टीम में पदस्थ अपने पड़ोसी राकेश अदृया को फोन पर सूचना दे दी। साइबर सेल में पदस्थ राकेश अदृया तत्काल टीम के साथ महिला घर पहुंच गए और महिला को ठगी का शिकार होने से बचा लिया।

पहचान उजागर न करने की शर्त पर महिला ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आया और मुझसे कहा गया कि मेरा मोबाइल नंबर अनैतिक गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद मुझे वीडियो कॉल आया, जिसमें पुलिस अधिकारी के साथ कई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक जांच चल रही है मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मुझे एक कमरे में बंद रहने के लिए कहा गया। डर के मारे मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद मुझसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे आईडी वाले दस्तावेज मांगे गए, जो मैंने उन ठगों को व्हाट्सएप कर दिए। इसी दौरान मेरे परिवार के लोगों ने समझ लिया कि मैं किसी ठगी का शिकार हो रही हूं, तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले साइबर सेल में पदस्थ राकेश को फोन लगा दिया और उन्होंने आकर मुझे ठगी का शिकार होने से बचा लिया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। बात करने वाले लोग नकली हैं। मुझे पड़ोसी राकेश की बात पर भरोसा हुआ और फिर मैंने फोन काट दिया। यदि साइबर टीम के सदस्य मुझे भरोसा नहीं दिलाते तो शायद मेरे साथ भी ठगी हो जाती।

पड़ोसी की तत्परता से बची ठगी

साइबर टीम ने लैब टेक्नीशियन को ठगने से बचा लिया था : राकेश अदृया ने बताया कि दमोह पुलिस लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग शिकार हो रहे हैं। करीब 15 दिन पहले जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पदस्थ एक लैब टेक्नीशियन को भी ठगों ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया था और डिजिटल अरेस्ट कर दो लाख रुपए की मांग की थी। उस समय भी साइबर टीम ने अपनी तत्परता दिखाते हुए लैब टेक्नीशियन को ठगने से बचा लिया था।

लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची अस्पताल में भर्ती

जागरण, गुना। साडा कॉलोनी के पास एक खेत में नवजात जिंदा बच्ची के लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत् 3-4 जनवरी की मध्य रात जिले के राघौगढ़ थाना अंतर्गत साडा कॉलोनी के पास एक खेत में नवजात जिंदा बच्ची के पड़े होने की सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सूचना पर डायल 100 एवं राघौगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जुबेर खान हमराह बल उपनिरीक्षक यहदेव तिर्की, आरक्षक मनोज सिकरवार, रमेश दोहरे के तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्ची की संरक्षण में लेकर उसे तत्काल जिला चिकित्सालय गुना ले जाकर उपचार हेतु भर्ती कराया गया।

पूर्व मध्य रेल

ई–खुली निविदा सूचना
सं० – एच–टी/सोन/ई–खुली निविदा/24–25/32
दिनांक : 01.01.2025

मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूर संचार)/सोनपुर भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं। ई–निविदा की अंतिम **तिथि 22.01.2025 को 12.00 बजे** तक निर्धारित है। ई–निविदा संबंधी एवं निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है।

क्रम सं०–1, ई–निविदा सं०–एस & टी/सोन/ई–खुली निविदा/24–25/32. कार्य का नाम (पद संख्या एवं स्थिति) : (1) अतिरिक्त के बीच विद्युतिय प्रदान करते विद्युत्त आपूर्ति को सुदृढ़ बनाए/सरक्षित करना तथा संचार माध्यमों के कम इन्फ्रास्ट्रेशन मामले का पता लगाने के साथ–साथ एसएटी उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना। (2) निम्नलिखित परिसरीयों के रखरखाव के सुधार के लिए ईएलजी टैक्निन डिवाइस, फाइव अलार्म सिस्टम और विभिन्न सहायक उपकरणों का प्रावधान। **अनुमानित लागत (रु.में):** 1,25,55,613.21, **बयाने की राशि (रु. में) :** 2,12,800.00, **निविदा प्रपत्र की कीमत अप्रतिदेय (रु. में):** 0.00, **समापन अवधि :** एल.डी.ए. जारी होने की तिथि से 09 (नौ) माह तक।

उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। दिनांक 01.01.2025 को अपलोड कर दिया गया है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार–किसी भी निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा में सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदादाता का इसमें कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा सूचना में पाए गए किसी भी विसंगति विवरण के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

मंडल विभागीय रुपए दूरसंचार इंजीनियर, सोनपुर
पीआर/1848/एचईई/एस एण्ड टी/टी/24–25/44

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda कोटरा सुल्तानाबाद शाखा : भोपाल

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

सेक्यूरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनांशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत और सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (रुल्सेमेंट) नियम 2002 के साथ पठित सेक्शन 13(12)सपठित नियम (3) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक **15.10.2024** एवं **17.10.2024** को निम्न वर्णित उपरावर्ती/अभ्यनादारों को डिमांड नोटिस जारी किया तथा नोटिस में दर्शायी गई निम्न वर्णित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए जारी किया गया है।

उपरावर्ती/ऋणमनादार उक्त चुकाने में असफल रहे है, अतः उपरावर्ती/ऋणी एवं ऋणमनादारों/संपत्ति मालिकों एवं जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 के साथ पठित एक्ट के धारा 13 (4) के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का **कब्जा** दिनांक **02.01.2025** को ले लिया है।

ऋणी एवं ऋणमनादारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**redeem** करने) के संबंध में अधिनियम की धारा (13) एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है। उपधारकर्ताओं एवं ऋणमनादारों/संपत्ति मालिकों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः खुद द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार किया रहने के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटरा सुल्तानाबाद शाखा भोपाल** के अधीन होगा।

ऋणी / ऋणमनादार एवं खाते का नाम	कब्जा की गई संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
ऋणी– **राजेश पांडे** सहऋणी– **श्रीमती कनक पांडे**	फ्लैट क्रमांक 602, निश्चित नेस्ले, वार्ड क्रमांक 53, गोल्ड क्वॉक क्रमांक 3, ग्राम जाटखेड़ी, भोपाल खसरा क्रमांक 3/2/5, 3/2/9केएच, 3/2/7, 3/2/9के, 3/2/8, 4/6, 4/5, 3/2/6/1, 5/18, 5/17, 4/4, 3/2/10, 3/2/6/2, 3/2/4, 3/2/3, 3/2/2 और 3/2/1 का बंधक, क्षेत्रफल– 1144 वर्गफीट।	₹ 20,47,789/- & ₹ 5,93,197/- + ब्याज एवं खर्च

दिनांक : 02.01.2025, स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी लटेरी जिला विदिशा म०प्र०

क्र. क्यू / प्रवा / 2024/3174 लटेरी दिनांक 18/12/2024

- उद्घोषणा -

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में पुलिस थाना प्रभारी थाना मुरवास द्वारा 25 पुलिस एक्ट के तहत 12 लावारिस वाहनों को जप्त किया । उक्त वाहनों के वाहन स्वामी की जानकारी हेतु सोशल मीडिया एवं समाचार पत्र के माध्यम से लावारिस वाहनों की जानकारी ली गई एवं आरएम किया गया किन्तु कोई भी वाहन स्वामी थाना उपस्थित नहीं हुये । लावारिस दो पहिया वाहनों को थाना रिकार्ड में देखा गया जो किसी अपराध में जप्त नहीं है ना ही उक्त वाहनों के वाहन स्वामी उपस्थित हुये हैं तथा भविष्य में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। उक्त जप्तशुदा दो पहिया वाहनों को थाना परिसर में रखा गया है तथा लावारिस वाहनों को राजसात कर नीलामी की कार्यवाही किये जाने का लेख किया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा के पत्र क्रमांक / क्यू -2 ख/स्थापना / 2022 / 5806 दिनांक 27.04.2022 से प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25, 26 एवं 27 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट को समस्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

अतएव मध्यप्रदेश पुलिस मेन्युअल एव रिपुलेशन एक्ट धारा 26 के तहत वाहनो की यथास्थिति रखते हुये उद्घोषित किया जाता है कि इस न्यायालय मे उपलब्ध 12 लावारिस वाहनो की सूची में उल्लेखित वाहनो के संबंध मे यदि कोई अपना दावा रखता है तो वह उद्घोषणा की तारीख से 15 दिवस के अंदर इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा जारी उद्घोषणा की 15 दिवस की अवधि व्यतीत होने उपरांत वाहन राजसात मान किया जाकर वाहन जहाँ जैसा है वैसाही मे नियमानुसार नीलाम करने की कार्यवाही की जायेगी। वाहन के विवरण सहित सूची का अवलोकन इस न्यायालय में एवं पुलिस थाना मुरवास में किया जा सकता है।

// लावारिस वाहनो की सूची //

क्र.	कम्पनी	रजिस्ट्रेशन	इंजन/चेसिस नम्बर	कलर	खरावी
01	प्लेटीना	MP04MH0683	DZUBUM0449	ग्रे कलर	
02	के बजाज		DDMBFB62517, DDFBFD34183	काला कलर	
03	हीरो होण्डा पेसन प्लस	MP04MQ8618	HA10EB99B11909, MBLHA10EL99B12253	लाल कलर	
04	हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस		HA10EFBHD6429, MBLHA10EYHD38513	काली नीली रंग	
05	हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस		02L12E45927, 02L20F48636	काला कलर	मास्क नहीं है
06	बॉक्सर		BMMBJK36470, DMFBJK71420	नीली लाल रंग	सायलेंसर टूटा
07	बजाज CT 100		DUMBLD67210, DUFBLD009900	लाल सफेद	
08	बजाज BYK		FDEBJM19724, FDCBJL19685	काला कलर	हैण्ड लाईट नहीं
09	हीरो होण्डा सीडी डीलक्स	MP67M3957	HA11EDA9C10336, MBLHA11ERA9D03452	लाल कलर	मास्क नहीं
10	सुजुकी मोटर	MP04NB0329	7811M210454, 7811F162648	काला कलर	मास्क नहीं है
11	KAWASAKI BOXER		DMMBKG96875, DFFBKG77962	काला कलर	मीटर टूटा
12	KAWASAKI BOXER		DFMBFH09269, DFFBFH16968	लाल कलर	मास्क टूटा

अनुविभागीय दण्डाधिकारी लटेरी

जी-21184/24 स्वच्छता ही सेवा है

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल
क्रमांक 415/राजस्व/परिविज्ञ/24 भोपाल, दि. 8/10/2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की शहापुरा योजना में स्थित प्रकोष्ठ क्र.–4/2, (41 जूनियर एम.आई.जी.) सेक्टर–सी, चर्तमान में श्री मनोज धारपुरे आ. श्री दत्तात्रेय धारपुरे के नाम पर आंकित हैं, आवंटी का स्वर्गवास दिनांक 28/08/2009 को हो जाने के कारण उक्त प्रकोष्ठ का नामांतरण उनके समस्त वारिसगण श्रीमती वैशाली धारपुरे पत्नि स्व. श्री मनोज धारपुरे, श्री अमेय धारपुरे एवं श्री अद्वैत धारपुरे पुत्रगण स्व. श्री मनोज धारपुरे द्वारा आवेदन पत्र, आदि वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर अपना का नामांतरण संयुक्त नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया है।

अतः उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/बैंक, संस्था को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञापन प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पड़कार श्रीमती तुलसा देवी गुप्ता पति राजेश गुप्ता एक किता मकान क्रमांक पी–42, जी ब्रॉघिपुरम फेस–2 कॉलोनी (महानगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल), जी खसरा न. 212/1, 212/2/1, 212/2/2/1 एवं 212/2/2/2/1, का अंश भाग है, नगर निगम सीमागर्गत वार्ड नं.–60, ग्राम खड़ी कला, तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। उक्त विक्रय किए जा रहे मकान के प्लाट का कुल क्षेत्रफल 18×40=720 वर्गफिट अर्थात 66.79 वर्गमीटर तथा प्रथम तल पर 37.59 वर्गमीटर में आवासीय मकान निर्मित है। जो की तहसील हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम सीमाओं के अंदर स्थित है। और जो उक्त मेरे पड़कार के नाम से किसी श्री एस. (अभिकर्ता) द्वारा हस्तांतरण हो सकते हैं, जिसे समक्ष अदालत रिपोर्ट पेश हो और जो उक्त में संबंधित सभी सरकार कर्मचारी का उत्तर दे सके। आपको यह रिपोर्ट भी दिया जाता है कि उक्त दिए अपनी प्रतिक्रया का लिखित बयान प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या प्रतिबंध में है कि जो दिन या अपना प्रतिक्रया या दस्तावों का उत्तर या प्रतिदान अपरांत हो और यदि आप किसी दस्तावेज या पत्र या अपने कब्जे या प्रतिबंध में हो अपनी प्रतिक्रया या दस्तावों के उत्तर के रूप में प्रतिदान के समयों में पेश करने के रूप में लिखे करते हैं तो ऐसे कार्य दस्तावेज को लिखित बयान के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त कार्य नहीं आवेदन में या न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है या कोई एक पक्षीय सुनवाई का उपक्रम निपटान आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निपटान व्यवहार एवं मामला में कार्य के प्रयुक्त हैं तो पोस्टमेन अधिकारी की अवमान करायें। यह आज तारीख 04 December 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर लगा कर दिया गया है।

हस्ताक्षर :- श्री किशोर कुमार उपाध्याय जी न्यायालय अध्यक्ष का रोजनामचा अपने कब्जे में आपकी कार्यालय पर यह आदेश तुम्हारे में रोजा कार्यवाई

आदेश की तरह **(स्वयं प्रकाश दुबे)**
प्रशासनिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)

In The Court Of XXI Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal
Presiding Officer : **स्वयं प्रकाश दुबे**

(MACC/0002252/2021)

आदर्श _____ वादी
V/s
पवित्र प्रकाश श्रीवास्तव _____ प्रतिवादी
Process Id :/2024
पेशी दिनांक– 07/01/2025

प्रतिवादी (1) **पवित्र प्रकाश श्रीवास्तव पिता ओमप्रकाश श्रीवास्तव पता– द्वारा उपरोक्त स्थान के पास बाहुबली कालोनी मारा म.प्र. ग्राम कोलवाही भारत 470001**
(2) **विनिष्ट आदिवासी जिला श्री आदिवासी पता– जिली मार्ग मारा ग्राम कोलवाही मारा**

यह कि शपथ आदर्श ने अपने विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरवान अधि. के लिए क्षत्र दाविया किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर यह का उत्तर देने के लिये उपस्थितदारित होने के लिये समन किया जाता है अपने न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति (अभिकर्ता) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसे समक्ष अदालत रिपोर्ट पेश हो और जो उक्त में संबंधित सभी सरकार कर्मचारी का उत्तर दे सके। आपको यह रिपोर्ट भी दिया जाता है कि उक्त दिए अपनी प्रतिक्रया का लिखित बयान प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या प्रतिबंध में है कि जो दिन या अपना प्रतिक्रया या दस्तावों का उत्तर या प्रतिदान अपरांत हो और यदि आप किसी दस्तावेज या पत्र या अपने कब्जे या प्रतिबंध में हो अपनी प्रतिक्रया या दस्तावों के उत्तर के रूप में प्रतिदान के समयों में पेश करने के रूप में लिखे करते हैं तो ऐसे कार्य दस्तावेज को लिखित बयान के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त कार्य नहीं आवेदन में या न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है या कोई एक पक्षीय सुनवाई का उपक्रम निपटान आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निपटान व्यवहार एवं मामला में कार्य के प्रयुक्त हैं तो पोस्टमेन अधिकारी की अवमान करायें।

यह आज तारीख 04 December 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर लगा कर दिया गया है।

(स्वयं प्रकाश दुबे)
प्रशासनिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल

ई-नीलामी की सूचना

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट – IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की **''जहां है, जैसी है और जो है जैसी है''** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वस